परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119 / 2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पयॅया पौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग के निमार्ण कार्य का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत लम्बाई 7.750 किमी0।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मॉग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या।

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्यॅयापौड़ी से तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग का नवनिमार्ण कार्य। स्वीकृति लम्बाई 7.750 किमी0 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का संख्या 843 / ।।।(2) / 16–60 (प्रा0आ0) / 2015 टी0सी0 दिनांक 16–फरवरी–2016 द्वारा 4.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु रू0 4.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। किन्तु उपरोक्त मोटर मार्ग 4.00 किमी0 में तोली ग्वालगांव नही पहुच पा रहा है जिस हेतु ग्राम सभा तोली को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु अतिरिक्त 3.750 किमी0 का अतिरिक्त संरेखन प्रस्ताव बनाया गया। जिसमें उक्त ग्रामवासियों द्वारा ग्राम तोली को मोटर मार्ग से जोड़ने जोड़ा गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव 9 मी0 चौड़ाई में तैयार किये गये है। तथा वृक्षों की गिनती 9 मी0 चौड़ाई में की गयी है। उक्त मोटर मार्ग बलुवाकोट पर्यॅया पौड़ी मोटर मार्ग से होकर तोली ग्वालगॉव गॉव में 7.750 किमी0 की लम्बाई में जाकर ओखलढुंगा नामक समाप्त होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्मित हो जाने के पश्चात उक्त क्षेत्र की आबादी तहसील मुख्यालय एंव जिला मुख्यालय से जुड़ जायेगी। जिससे स्थानीय जनता को शिक्षा,स्वास्थ,बैंक बाजार व रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। लैण्ड शैड्यूल के अनुसार सरेंखन में 3.875 हे0 राज्य / वन भूमि, **3.600 हे**0 नाप भूमि एवं 0.900 हे0 हाल बन्दोबस्ती नक्शों में प्रदर्शित नही एवं भू–अभिलेखों में अंकित नही भूमि प्रभावित हो रही है।

अतः 3.875 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव गठित कर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क स्वीकृति हेतु आन लाइन प्रेषित किया जा रहा है। जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निमार्ण आवश्यक है।

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

Pandey
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला (अस्कोट)

हस्ताक्षर एवं नाम प्रयोक्ता एजेन्सी